ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 154-158
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

महादलित जाति की वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ–गया नगर पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 रेखा कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, राँची (झारखण्ड), भारत

Received-08.05.2023, Revised-14.05.2023, Accepted-19.05.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***अनुसूचित जाति– भारतवासी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारिस हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले लोग कैसे जातिप्रथा में बंट गए, यह हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। जातिप्रथा ने समाज के एक तबके को पद दलित कर दिया है। यह त्रासदी पूरे समाज की है, जो छुआछूत को बढ़ावा देती है। इतिहासकारों के पास भी जातिप्रथा के उद्‌गम को लेकर प्रामाणिक उत्तर नहीं है। सब कुछ अनुमान पर आधारित है। कालचक्र सब कुछ बदल देता है, लेकिन जाति प्रथा को नहीं बदल सका। वैसे तो विश्व की समस्त जीवित अथवा मृत सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं में स्तरीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही है। भारतीय समाज भी स्तरीकरण की प्रक्रिया से अछूता नहीं है, अपितु यह भी उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित अनेकानेक इकाईयों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित रहा है जिनमें सर्वाधिक प्रमुख व अनोखी व्यवस्था जाति प्रथा है। इसके आधार पर हिन्दू समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त रहा है। इस जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान अस्पृश्यों का था जिन्हें अब अनुसूचित जातियों के सम्बोधन से जाना जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जाति, प्राचीन सभ्यता, वसुधैव कुटुम्बकम, जातिप्रथा, दलित, छुआछूत, प्रामाणिक, कालचक्र, स्तरीकरण।

वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत अस्पृश्य किसी वर्ण के अंतर्गत नहीं आते थे वरन् घृणास्पद पेशों को करने वाले अन्त्यज्य निर्वासित समूहों के रूप में जाने जाते थे। आधुनिक काल में इन अछूतों व अस्पृश्यों की गणना पंचम वर्ण के रूप में की जाती है। अपवित्र तथा घृणित पेशों को करने के कारण इन्हें अपवित्र व न छुए जाने योग्य समझा जाता था। अतः इनका स्पर्श करना वर्जित था। इनके स्पर्श से अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए अनेक धार्मिक .त्य करने पड़ते थे।

वर्णाश्रम–व्यवस्था भारतीय संस्कृति के सामाजिक पक्ष का मूलाधार है। इस व्यवस्था की सुदृढ़ नींव पर कर्मेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि–विषयक विविध व्यवसायों को लोककल्याणकारी भावना का मूर्त–भवन निर्मित हुआ, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, परोपकार और त्याग इस भवन के चार महान् स्तम्भ रहे हैं, जिन्होंने उसे दृढ़ता प्रदान की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के पुरुषार्थ चतुष्ट्य के रूप में मान्य किया। भारत में वर्ण–व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि प्राचीन वर्ण–व्यवस्था के निर्धारण में गुण–कर्म का विशेष स्थान था 'चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागश''। चारों वर्गों के लिए निर्धारित कर्तव्यों को ठीक ही 'स्वभावजकर्म' कहा गया है। समाज की बहुविध आवश्यकताओं की सम्यक पूर्ति के लिये वर्ण–व्यवस्था अनिवार्य थी। इसी बात को विशेष ध्यान में रखकर वैदिक युग में और उसके पश्चात् वर्ण–धर्मों का निर्धारिण समयानुरूप किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भारतीय समाज के चार वर्ण रहे हैं। वर्ण–व्यवस्था से तात्पर्य इन्हीं चारों से सम्बन्धित व्यवस्था से है। अतः समाज में उसका स्थान निम्नतम था और ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का सेवक बनाया। शूद्रों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस सम्बन्ध में समय–समय पर अनेक विद्वानों ने अपने–अपने मत प्रकट किए हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में चाण्डाल, निषाद आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है किन्तु पूर्व वैदिक काल, जिसका अन्त ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुआ है, मैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रम से परम पुरुष मुख, भुजाओं, जाँघों व पैरों से उत्पन्न हुए।

भारतीय समाज में सोलह प्रतिशत आबादी है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। इस आबादी को सवर्ण समाज हेय .ष्टि से देखता है। वे अक्सर इस पूरे समुदाय को अयोग्य, पियक्कड़, गंदा, धरती पर बोझ आदि समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हिन्दू सामाजिक संगठन की अनेक विशेषताएँ हैं। इनमें सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण 'जाति–प्रथा' है। हिन्दू सामाजिक संगठन में मुख्य रूप से चार प्रमुख जातियाँ– ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र पाई जाती है परन्तु वैसे इस संगठन में सहस्रों उपजातियाँ पाई जाती है। इस जातीय संगठन में शूद्र जाति एवं उसकी उपजातियों की प्रस्थिति अत्यन्त ही निम्नकोटि की होती है। उन्हें सदियों से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक अयोग्यताएँ सहनी पड़ी हैं। अन्य उच्च जातियों की तुलना में वे आधारभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित रही है। सभ्यता के विकास के फल उनके पास नहीं पहुँच सके। ये जातीय इकाइयों में सबसे निम्न स्तर पर थे, जो 'हरिजन' या 'अनुसूचित जाति' या परम्परागत रूप में अन्त्यज' या 'अस्पृश्य' कहलाते हैं। समाज के इन निम्न स्तर के लोगों को परम्परावादी व्यवस्था में निम्न सामाजिक और कर्मकाण्डीय प्रस्थिति का द्योतक माना जाता रहा एवं इन्हें विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं से गुजरना पड़ता था। आंग्ल भाषा में इनको अछूत कहा गया है। सन् 1930 में भारत सरकार ने इन लोगों के सम्बन्ध में एक उचित शब्द ढूँढने की चेष्टा की जिससे इनके सम्बन्ध में कानूनी और प्रशासकीय कार्यवाही की जा सके। अतः इनको 'निम्न वर्गों' और 'बाह्यय जातियों के नाम से पुकारा गया, लेकिन भारत सरकार की एक्ट 1935 सेक्शन 309 के अनुसार साइमन कमीशन ने इनको अनुसूचित जाति नामकरण दे दिया। भारत वर्ष के विभिन्न हिस्सों में इन दे अछूत जातियों को अनुसूचित वर्गों में रखा गया। स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद इन शोषित जातियों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में इन जातियों की एक अलग विस्तृत सूची तैयार की गई है जिसके कारण उन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिये प्रावधान किया है कि किसी भी प्रदेश या केन्द्रशासित प्रदेश में राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किन्हीं जातियों, प्रजातियों या जनजातियों या उनके भाग या जातियों, प्रजातियों या जनजातियों के उप समूहों को विशिष्ट घोषित कर सकता है और वे उस प्रदेश या केन्द्र शासित प्रदेश के सम्बन्ध में संविधान

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

के सन्दर्भ में अनुसूचित जातियाँ मानी जायेंगी।''

अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1935 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। इस शब्द का प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें भग्न पुरुष या बाह्य जाति माना जाता था। अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्दावली है, जिसका प्रयोग उन समुदायों के लिये किया जाता है, जो हिन्दू सामाजिक संरचना सोपान में निम्नतर स्थान रखते हैं। निम्नतर स्थान का आधार इन जातियों के उस व्यवसाय से जुड़ा है, जिसे अपवित्र कहा जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 341 खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के बारे में और राज्य के मामले में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशोंध् जातियों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो संविधान के प्रयोजन के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझी जायेंगी। यह दृष्टव्य है कि इन सूचियों के एक बार जारी कर दिये जाने पर उसमें किसी समुदाय को समाविष्ट किया जाना या उसमें से निकाला जाना अनुच्छेद 341 के खण्ड (2) के अधीन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकेगा। महामहिम राष्ट्रपति ने अब तक अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में 7 आदेश जारी किये हैं। पिछला संविधान आदेश 'सिक्किम अनुसूचित जातियाँ आदेश–1978' में घोषित हुआ था।

सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है, अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर भी की गई है। के०एन० शर्मा के अनुसार, 'अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिये कुछ कृत्य करने पड़े। डी.एन. मजूमदार के अनुसार, 'अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत–सी निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। भारतवर्ष में बिहार एक ऐसा प्रान्त है जहाँ महादलित की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। बिहार में 23 अनुसूचित जातियाँ हैं, जैसे :– बनपर, बउरी, भोगता, चमार, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, दुसाध, घासी, हलालखोर, हरि, कंजर, कुरियार, लालबेगी, मुसहर, नट, पान, पासी, राजवार, तुरी, जेनेरिक जातियाँ सम्मिलित हैं। इनमें दुसाध जाति को छोड़कर उपरोक्त सभी अनुसूचित जातियों को महादलित जाति की श्रेणी में रखा गया है।

अपने से बड़ों का सम्मान भारतीय संस्कृति का आधारभूत अंग है। बड़ों की श्रेणी में सबसे बड़ी माता मानी गयी है। 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी' अर्थात् माता का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। माता को जननी कहा गया है। वह मानव जाति को जन्म देती है। सन्तानोत्पत्ति के पश्चात् उसकी सेवा तथा भरण–पोषण प्राण–प्रण से करती है। इसलिए वृद्ध माता की इज्जत सर्वोपरि है। इनकी देखभाल परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य है। वृद्धों की देखभाल साधारणतया परिवार के सदस्य करते हैं। परिवार सामान्यतया संयुक्त परिवार एक ऐसा पर्यावरण बनाते हैं जिसमें वृद्ध अपना जीवन जीते हैं। भारत जैसे देश में परिवार में कई कार्य एक शाखा की तरह होते हैं। बदलते परिवेश में कई आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के बदले युवा वर्ग अपने वृद्ध सम्बन्धियों की देखभाल कर लेता है जबकि युवा वर्ग अपने बड़ों की सेवा पारम्परिक समाज में ही करता है।

जन्मदर में गिरावट से जनसंख्या के आयु स्तर में कई आधारभूत बदलाव आये हैं जिसके परिणाम स्वरूप बूढ़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में वृद्धों की संख्या 1991 में 56.7 मिलियन से 2001 में 72 मिलियन हो गई है। ऐसा अनुमान है कि वृद्धों की संख्या वर्ष 2022 तक 137 मिलियन तक पहुँच सकती है। आज भारत विश्व में 10 वरिष्ठ नागरिकों में से 1 का घर है।
वृद्धों की जनसंख्या में 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वृद्धों की जनसंख्या में लिंग अनुपात 1996 में 928:927 था, जो सन् 2022 में 1031:935 हो जायेगा। आधे से अधिक वृद्धों की संख्या विवाहित है। विधवा 64 प्रतिशत 19 प्रतिशत पुरुष हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुष आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ हैं। 2011 में वृद्धों में 60 प्रतिशत पुरुष मजदूरी करते थे जबकि महिलाओं में यह प्रति प्रतिशत 11 तक था। 60 आयु वर्ग के काम करने वालों में 78 प्रतिशत पुरुष और 84 प्रतिशत महिलायें .षि कार्य में संलग्न थे।

भारत में वृद्धों की जनसंख्या कई समस्याओं को झेलती है। ये समस्यायें हैं– स्वयं की देखभाल के लिए पर्याप्त आय, खराब स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा की कमी, समाज में भूमिका और पहचान की कमी और खाली समय में कार्य न होना आदि। वृद्धों की आवश्यकताएँ एवं समस्यायें उनकी उम्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, जीवन–स्तर तथा अन्य चरित्रों पर बदलती हैं। जैसे कि लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं जैसे 75 वर्ष या उससे अधिक जीते हैं उन्हें गहन देखभाल की आवश्यकता होती है जिससे परिवार में आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हमारे समाज में वृद्धों की कई समस्याओं के बीच आर्थिक समस्या एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। गरीबी भारत का एक सच है और अधिकतर परिवारों की आय आर्थिक स्तर के बहुत नीचे है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय नीति 1999 में बताया कि भारत की 33 प्रतिशत वृद्धों की सामान्य जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है तथा एक तिहाई जनसंख्या 60 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर है। इस संख्या को इस बात से समझा जा सकता है कि अभी भी गरीब वृद्धों की संख्या 23 मिलियन के लगभग है। अपर्याप्त आय वृद्धावस्था में एक महत्वपूर्ण समस्या है। उनके लिए यह और भी दुःखदायी है जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है न ही कोई बचत और न ही पहले से किये गये किसी निवेश से आय, न ही कोई पेन्शन, न रिटायरमेंट लाभ और न ही उनके बच्चे उनकी देख–भाल करते हैं। या वे उन परिवारों में रहते हैं जिनकी आय कम होती है या उन पर आश्रितों की संख्या ज्यादा होती है। सामान्यतः वृद्धों की आधी जनसंख्या पूरी तरह से दूसरी पर निर्भर होती है जबकि 20 प्रतिशत कुछ रूप में दूसरों पर निर्भर होती है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार आर्थिक समस्या जुझते हैं क्योंकि वहाँ साल भर में एक बार ही आय होती है। लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है जिससे कि रिटायरमेंट होने पर उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सुरक्षा जैसे पेन्शन आदि का लाभ प्राप्त नहीं होता। संगठित क्षेत्र में जिसमें की केन्द्र व राज्य सरकारों में कार्य करने वाले और मुख्य उद्योगों,

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

उदाहरणस्वरूप उत्पादन या खादानों में लगी 30 मिलियन श्रमिक कार्य करते हैं जो कि सम्पूर्ण भारतीय कार्य शक्ति जो 314 मिलियन हैं का 10 प्रतिशत भाग हैं। इनमें वृद्धों की संख्या 40 प्रतिशत तक है।

वृद्धावस्था से सम्बद्ध अध्ययनों में राममूर्ति मरूला सिदाई, देशाई एवं नायक, अनन्त रमन, चन्द्रादबे, जमुना एवं राममूर्ति, हेमलता एवं सूर्य नारायण, जार्ज मोनाचारी, सेनगुप्ता, मुनीर, पुरोहित एवं शर्मा, सेन गुप्ता एवं चक्रवर्ती, बी.के. नागला, भटनागर एवं रन्धावा, संगवान, सुडान, पटेल, बोस, शिव राजू, श्रीवास्तव आदि का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

अध्ययन की समस्या– महादलित जाति की वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्यायें : गया जिला के वृद्ध महिलाओं पर आधारित एक अध्ययन हैं।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

1. इस तथ्य का पता लगाना कि बदलते सामाजिक परि.श्य में अध्ययन से सम्बन्धित महादलित उत्तरदात्रियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है?
2. इस तथ्य का पता लगाना कि बदलते सामाजिक परि.श्य में महादलित वृद्ध महिलाओं की समस्याओं के कारण क्या हैं?
3. इस तथ्य का पता लगाना कि युवा पीढ़ी बुजुर्गों के प्रति कैसी धारणा रखती है?
4. इस तथ्य का पता लगाना कि वृद्धों की समस्याओं के निराकरण हेतु समाज–कल्याण द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की भूमिका, दिशा एवं दशा क्या है?
5. इस तथ्य का पता लगाना कि महादलित वृद्ध महिलाओं की समस्याओं के समाधान के कौन से सुझाव कारगर हैं?

अध्ययन की उपकल्पना– प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:–

1. गया नगर में वृद्ध महादलित की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
2. गया नगर मे वृद्ध महादलित महिलाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण बदलते हुए सामाजिक मूल्य हैं।
3. संयुक्त परिवार का विघटन महादलित जाति के वृद्ध महिलाओं की समस्याओं को बढ़ाने में अधिक सहायक है।
4. नगरीकरण के कारण नगरों में आवास की समस्या एवं महादलित जाति के महिलाओं की समस्याओं में सकारात्मक अनुपात है।
5. गया नगर में महादलित जाति की वृद्ध महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियान्वित शासकीय एवं अशासकीय कार्यक्रम पूर्णरूपेण सफल नहीं हो रहे हैं।
6. गया नगर क्षेत्र की महादलित वृद्ध महिलायें युवाओं के प्रति यह धारणा रखती हैं कि आज की युवा पीढ़ी आत्मकेन्द्रित एवं स्वार्थी हो गयी है, जिसके कारण वृद्ध महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
7. महादलित जाति की महिलाओं की समस्याओं का समाधान परिवार में ही सम्भव हैं।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में गया शहर का चयन किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में 300 महादलित जाति की वृद्ध महिलाओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत– वर्तमान अध्ययन गवेषणात्मक तथा विवरणात्मक प्रारूप पर आधारित है। अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु मान्य स्रोतों में प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया जिसमें अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों की सूची तैयार कर साक्षात्कार के माध्यम से भरा गया। इस साक्षात्कार अनुसूची में समस्या के सभी विस्तृत पक्षों को सम्मिलित किया गया है। कुछ प्रश्न उत्तरदाताओं की वैयक्तिक एवं पारिवारिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं जिसके अन्तर्गत नियोजित और अनियोजित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तरदाताओं से उनकी प्रक्रिया जानने का प्रयास किया गया है। द्वैतीयक स्रोत के अन्तर्गत अध्ययन से सम्बन्धित ग्रन्थों, सरकारी रिपोर्टों, पत्रपत्रिकाओं को रखा गया, जिनसे अध्ययन सम्बन्धी जानकारी एकत्र की गयी है।

निष्कर्ष– सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश उत्तरदाता 59.33 प्रतिशत 60–70 वर्ष आयु समूह की हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाता परिपक्व आयु–समूह की हैं। अध्ययनगत अधिकांश उत्तरदाताएँ 41.00 प्रतिशत उच्च जाति की हैं। अध्ययन में सम्मिलित शत–प्रतिशत उत्तरदाताएँ हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। अधिकांश उत्तरदाता (54.00 प्रतिशत) अशिक्षित हैं जिनका प्रतिशत 83.33 है। अधिकांश उत्तरदाता (56.34 प्रतिशत) विधवा हैं। अधिकांश 27.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की वार्षिक आय 5001–10000 रुपये के मध्य है। अधिकांश उत्तरदात्रियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है। अधिकांश उत्तरदात्रियों अपने पति के साथ रहती हैं। महादलित जाति की वृद्ध महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार आज तक उन्होंने जिनके लिए इतना किया वे उनका सामान्य ख्याल रखते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उनको परिवार में महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (53.33 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार सामाजिक क्रियाकलापों जैसे पार्टी, शादी–ब्याह आदि में स्वेच्छा से सम्मिलित नहीं होती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (70.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार रिश्तेदार उनका सम्मान करते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (53.34 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार वे अपनी इच्छा से सामाजिक लेन–देन नहीं करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (51.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार उनको समाज में सुखदुःख बाँटने के अवसर व वार्तालाप के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार वे अपने को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर समझती हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना गया नगर में वृद्ध महादलित जाति की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रामाणिक सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (63.33 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उनको अधिकारों से वंचित होने का भय सताता है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (52.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों अनुसार, वे अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (58.34 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार क्या सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखने में बहू–बेटे बाधा डालते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (63.34 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे आप दान–दक्षिणा व पूजा–पाठ का आयोजन अपनी इच्छानुसार करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (90.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, बीमारी की अव्यवस्था में उनको देखभाल की चिन्ता होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (58.33 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, समाज रहन–सहन के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (55.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे किसी भी निर्णय के लिए अपने को स्वतंत्र अनुभव नहीं करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (53.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे अपनी सम्पत्ति पर अपना अधिकार अनुभव नहीं करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (93.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धावस्था अपने आप में एक समस्या है।

समस्याओं के कारणात्मक विश्लेषण के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (90.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, समाज में वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान में कमी आयी है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (81.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण बदलते हुए सामाजिक मूल्य हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना गया नगर में वृद्ध महादलित जाति की महिलाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण बदलते हुए सामाजिक मूल्य हैं प्रामाणिक सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धाओं की बढ़ती समस्याओं कारण संयुक्त परिवार का विघटन है। यहाँ हमारी उपकल्पना 'संयुक्त परिवार का विघटन महादलित वृद्ध जाति की महिलाओं की समस्याओं को बढ़ाने में अधिक सहायक हैं' प्रामाणिक सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (96.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धावस्था में मनुष्य अकेला हो जाता है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (55.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उन पर परिवार की शांति भंग करने का आरोप लगाया जाता है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (56.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, आज की युवा पीढ़ी आत्मकेन्द्रित एवं स्वार्थी हो गयी है, जिसके कारण वृद्ध महादलित जाति की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारी उपकल्पना गया नगर क्षेत्र की महादलित वृद्ध महिलायें युवाओं के प्रति यह धारणा रखती हैं कि आज की युवा पीढ़ी आत्मकेन्द्रित एवं स्वार्थी हो गयी है, जिसके कारण वृद्ध महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रमाणित सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (87.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, बातचीत, अन्य लोगों से संबंध रखने में बहू–बेटे आपत्ति करते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधकांश (94.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धावस्था के जीवन को लक्ष्य विहीन समझती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (91.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, सामाजिक सम्पर्क रखने में रुचि का अभाव अनुभव करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (95.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार ,वे मानसिक तनाव का अनुभव करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (93.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उनको घर से बाहर निकलने में किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार समाज के लोग आपको हीन व कमजोर समझ कर उपेक्षा करते हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (61.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, नगर में आवासीय जगह की कमी का सम्बन्ध वृद्धाओं की समस्या से है। यहाँ हमारी उपकल्पना 'नगरीकरण के कारण नगरों में आवास की समस्या एवं वृद्ध महिलाओं की समस्याओं में सकारात्मक अनुपात है', प्रामाणिक सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (41.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वृद्धाओं की समस्याओं का समाधान परिवार में ही सम्भव है। यहाँ हमारी उपकल्पना 'वृद्ध महिलाओं की समस्याओं का समाधान परिवार में ही सम्भव है', प्रामाणिक सिद्ध होती है।

वृद्ध महिलाओं के अभिवृत्यात्मक विश्लेषण के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (90.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे कभी समाचार–पत्र नहीं पढ़ती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (97.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे टी.वी. देखती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (70.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे साधु–सन्तों में विश्वास करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (72.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे जादू–टोना में विश्वास करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (98.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे गोष्ठियों एवं क्लबों में नहीं जाती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (96.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे धार्मिक सत्संग में जाती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (90.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे धार्मिक पुस्तकें पढ़तीध्सुनती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (85.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उन्होंने तीर्थयात्रा की है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे धूम्रपान करती हैं।

अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (55.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे विधवा विवाह को उचित नहीं मानती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (85.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ऐसा नहीं मानती हैं कि उनके साथ किसी का निभना मुश्किल हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (77.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे अपने को असहाय मानती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (84.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे जीवन को बोझ समझती हैं।

समस्याओं के निराकरण हेतु चलाये जा रहे समाज कल्याण कार्यक्रमों के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (84.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे अपने को सुरक्षित अनुभव करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (85.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, वे अपने को उपेक्षित अनुभव करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (95.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, उन्हें सरकार से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, राज्य सरकारी अस्पतालों में अलग से देखने की व्यवस्था का लाभ की गयी है, वे इसका लाभ उठाती हैं। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (84.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, रेलवे में 30 प्रतिशत कन्शेसन मिलता है, इसका लाभ उन्होंने लिया है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (81.34 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के अनुसार, बस यात्रा में वृद्धों के लिए दो सीटें रिजर्व होती हैं, इस सुविधा का लाभ उन्होंने उठाया है। यहाँ हमारी उपकल्पना गया नगर में वृद्ध महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियान्वित शासकीय एवं अशासकीय कार्यक्रम पूर्णरूपेण सफल नहीं हो रहे हैं, अप्रामाणिक सिद्ध होती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (63.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों को इसकी जानकारी है कि बच्चों से उनको खर्चा मिलने का अधिकार प्राप्त है।

सामान्यीकरण– आधुनिकीरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा तथा व्यक्तिवादी दर्शन के विकास से पारम्परिक मूल्य घटते जा रहे हैं, जिससे युवा वर्ग के बीच अपने से बड़ों की इज्जत घटती जा रही है। ऐसी चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि वृद्धों को पारिवारिक सहायता और देखभाल शायद अपने आने वाले समय में दुर्लभ हो जाये। भारत जैसे विकासशील देश के लिए वृद्धों की जनसंख्या बढ़ना एक वर्तमान समस्या है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए इसे ध्यान से देखना होगा। पश्चिमी देशों की तरह कहीं भारत में भी आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण का प्रतिकूल असर न पड़े।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारद्वाज, ए०एन० (1979) : दि प्राब्लम्स ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राब्स इन इण्डिया, लाइट एण्ड लाइफ पब्लिकेशन्स।
2. 'बुजुर्गों की सुविधाएँ बढ़ाने की कवायद', दैनिक जागरण, 18 फरवरी, 2007.
3. आलम, आर० एण्ड हुसैन (1977) . साइको–सोशल प्राब्लम ऑफ एजिंग : इण्डियन परसपेक्टिव इन एम०जी० हुसैन (इडी) : चेन्जिग इण्डियन सोसायटी स्टेट्स ऑफ एजेड, न्यू देल्ही, मानक पब्लिकेशन प्रा० लिमिटेड।
4. आलम मोनीर (2006) : एजिंग इन इण्डिया सोशियो–एकोनोमिक एण्ड हेल्थ डाइमेन्सन्स, एकेडेमिक फाउन्डेशन, न्यू देल्ही ।
5. देसाई के०जी० एण्ड नायक, आर०डी० (1970/1973) : 'प्राब्लम्स ऑफ द रिटायर्ड पीपुल इन ग्रेटर बम्बे', बम्बे : टाटा इन्स्टीयूट ऑफ सोशल साइन्सेस।
6. नगला, बी०के० (1987) : 'ऐजिंग एण्ड हेल्थ : ए सोशियोलॉजिकल एनालीसीस', इन शर्मा एम०एल०, एण्ड डक, टी०एम० (इडीस.) ऐजिंग इन इण्डिया चौलेन्जेच फॉर द सोसायटी, दिल्ली अजन्ता पब्लिकेशन।

*****